

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(7)2023-24/विकास/प्रमुखसं/112603

दिनांक 18/03/2024

कार्यालय आदेश

मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर के पत्रांक 1782 दिनांक 25.03.2023 से प्राप्त राज्य निधि (आयोजना) मदों के बचत/आधिक्य की सूचना अनुसार निम्न लेखा मदों में उनके सम्मुख अंकित वन मण्डलों में दर्शाई गई बचत राशि में से उनके सम्मुख अंकित राशि प्रत्याहारित की जाती है। प्रत्याहारित राशि को उनके सम्मुख अंकित उप वन संरक्षक, जैसलमेर को वित्तीय वर्ष 2022-23 में बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है।

(राशि रु. लाखों में)

लेखा मद	नाम वन मण्डल	बचत राशि	प्रत्याहारित राशि	नाम वन मण्डल जिसे आवंटित की जा रही है।	बकाया देनदारियों हेतु आवंटित राशि
4406-01-101-11-00-63-वृक्षारोपण	उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर	10.00	6.55	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	6.55
4406-01-789-07-00-63-वृक्षारोपण	उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर	12.30	9.75	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	9.75
2406-01-101-19-00-21-अनुरक्षण एवं मरम्मत	उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर	12.99	1.46	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	1.46
2406-01-789-05-00-21-अनुरक्षण एवं मरम्मत	उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर	10.00	1.07	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	1.07

(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(7)2023-24/विकास/प्रमुखसं/112604-611

दिनांक 18.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- मुख्य वन संरक्षक बीकानेर/जोधपुर।
- वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर
- उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर / जैसलमेर।
- प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलित शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

Shikha

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
राजस्थान, जयपुर